

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्र सं० C-2222 / बा०वि०परि० / स्था०-4 / 2016-17 दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार विभाग के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिए जाने के संबंध में।

उर्पयुक्त विषयक मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन के पत्र सं०-2548/60-2-2016-2/1 (23) 13 टीसी दिनांक 10.11.2016 जो प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित एवं निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र० एवं आपको पृष्ठांकित है, का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार विभाग के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं।

विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 उ०प्र० शासन ने अपने पत्र सं०-3951/60-2-16-2/1 (23)/13 टीसी दिनांक 13.12.2016 के द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 10.11.16 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, के संबंध में आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आगामी समीक्षा बैठक में शासनादेश दिनांक 10.11.16 की अनुपालन आख्या अनिवार्य रूप से साथ लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को आख्या भेजी जा सके।

(आ०ए०ए० यादव)
अपर निदेशक(प्रशासन)।

पृष्ठांकन सं०- / तददिनांक

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 उ०प्र० शासन को पत्र सं०-3951/60-2-16-2/1 (23)/13 टीसी दिनांक 13.12.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आ०ए०ए० यादव)
अपर निदेशक(प्रशासन)।